

## आधार डेटा की सुरक्षा

### प्रलिस के लिये:

CAG, UIDAI, आधार अधिनियम 2016

### मेन्स के लिये:

आधार और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण \(UIDAI\)](#) ने पहले जनता को अपने आधार की एक फोटोकॉपी किसी भी संगठन के साथ साझा नहीं करने की चेतावनी जारी की और बाद में इस चेतावनी को वापस ले लिया।

## भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण:

- **सांविधिक प्राधिकरण:** UIDAI 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  - UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
- **जनादेश:** UIDAI को भारत के सभी नविसयियों को एक 12-अंकीय वशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
  - 31 अक्टूबर, 2021 तक UIDAI ने 131.68 करोड़ आधार नंबर जारी किये थे।

## UIDAI की प्रारंभिक चेतावनी:

- UIDAI ने "आम जनता को किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने की चेतावनी दी, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है"।
  - इसके स्थान पर 'मास्कड' आधार का उपयोग करने की सफ़ारिश की, जो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शित करता है"।
- इसने जनता से अपने ई-आधार को डाउनलोड करने के लिये सार्वजनिक कंप्यूटरों का उपयोग करने से बचने के लिये भी कहा।
  - उस स्थिति में उन्हें उसी की भी डाउनलोड की गई प्रतियों को "स्थायी रूप से हटाने" के लिये कहा गया था।
- केवल वे संगठन जिन्होंने यूआईडीएआई से उपयोगाकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिये आधार का उपयोग कर सकते हैं।
  - इसके अलावा आधार अधिनियम के कारण होटल और मूवी थियटर को आधार कार्ड की प्रतियाँ एकत्र करने या बनाए रखने की अनुमति नहीं है।

## आधार से संबंधित चर्चाएँ:

- **आधार डेटा का दुरुपयोग:**
  - देश में कई नज्ी संस्थाएँ आधार कार्ड पर ज़ोर देती हैं और उपयोगाकर्ता अक्सर वविरण साझा करते हैं।
  - इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कयें संस्थाएँ कैसे इन डेटा को नज्ी और सुरक्षित रखती हैं।
  - हाल ही में कोवडि-19 परीक्षण के साथ, कई लोगों ने देखा होगा क अधिकांश परयोगशालाएँ आधार कार्ड के डेटा पर ज़ोर देती हैं, जसमें एक फोटोकॉपी भी शामिल है।
    - यह ध्यान दिया जाना चाहिये क कोवडि-19 परीक्षण करवाने के लिये इसे साझा करना अनविर्य नहीं है।
- **ज़बरन थोपना:**
  - वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया क आधार प्रमाणीकरण को केवल भारत के समेकित कोष से भुगतान किये गए लाभों के लिये अनविर्य बनाया जा सकता है और आधार के वफिल होने पर पहचान सत्यापन के वैकल्पिक साधन हमेशा प्रदान किये जाने चाहिये।

- बच्चों को छूट दी गई थी लेकिन आँगनवाड़ी सेवाओं या स्कूल में नामांकन जैसे बुनियादी अधिकारों के लिये बच्चों से नियमिती रूप से आधार की मांग की जाती रही है।
- **मनमाना बहष्करण:**
  - केंद्र और राज्य सरकारों ने आधार के साथ कल्याणकारी लाभों के जुड़ाव को लागू करने के लिये "अल्टीमेटम पद्धति" का नियमिती उपयोग किया है।
  - इस पद्धति में यदि प्राप्तीकर्ता सही समय में लिकेज नरिदेशों का पालन करने में वफिल रहता है, जैसे कअपने जॉब कार्ड, राशन कार्ड या बैंक खाते को आधार से लिके करने में वफिल होने पर लाभ को वापस ले लिया जाता है या नलिंबति कर दिया जाता है।
- **धोखाधड़ी-प्रवृत्ती आधार-सकषम भुगतान प्रणाली (AePS):**
  - AePS एक ऐसी सुवधि है जो कसीी ऐसे व्क्ती को सकषम बनाती है जसके पास आधार से जुड़ा खाता है, वह भारत में कहीं से भी "बज़िनेस कॉरिस्पॉडेंट" के साथ बायोमेट्रिकि प्रमाणीकरण के माध्यम से पैसे निकाल सकता है- एक तरह का मनी-एटीएम।
  - भरषट व्पापार कॉरिस्पॉडेंट द्वारा इस सुवधि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है।

## हाल ही में उठा मुद्दा:

- भारत के **नयित्तरक और महालेखा परीकषक (CAG)** ने आधार कार्ड जारी करने से संबंधति कई मुद्दों पर **भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण (UIDAI)** की नदि की है।
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने **आधार अधनियम की धारा 57** को रद्द कर दिया था।
  - आधार अधनियम की धारा 57 अनविर्य रूप से नजीी संस्थाओं को नागरकिों के आधार वविरण एकत्त्र करने की अनुमती देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान की व्पाख्या करते हुए इसे "असंवैधानकि" कहा था।
  - बाद में **आधार और अनय कानून (संशोधन) अधयादेश, 2019** जारी किया गया, जसिने बैंकों और दूरसंचार ऑपरेटर्स को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार वविरण एकत्त्र करने की अनुमती दी।

## आधार का महत्त्व:

- **पारदर्शति और सुशासन को बढ़ावा देना:** आधार नंबर ऑनलाइन एवं कफियती तरीके से सत्पापन योग्य है।
  - यह डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्त करने में अद्वितीय है तथा इसका उपयोग कई सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्ती करने हेतु किया जाता है जससे पारदर्शति एवं सुशासन को बढ़ावा मलिता है।
- **नचिले स्तर तक मदद:** आधार ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पहचान प्रदान की है जनिकी पहले कोई पहचान नहीं थी।
  - इसका उपयोग कई प्रकार की सेवाओं में किया गया है तथा इसने **वत्तीय समावेशन**, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सेवाओं, नागरकिों के बैंक खाते में **प्रत्यकष लाभ हस्तांतरण** में पारदर्शति लाने में मदद की है।
- **तटस्थ:** आधार संख्या कसीी भी जाती, धरम, आय, स्वास्थय और भूगोल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत नहीं करती है।
  - आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालाँकि आधार संख्या इसके धारक को नागरकिता या अधवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- **जन-केंद्रति शासन:** आधार सामाजकि और वत्तीय समावेशन, सार्वजनिकि कषेत्र के सुवधिओं के पहुँच में सुधारों, वत्तीय बजटों के प्रबंधन, सुवधि बढ़ाने और समस्या मुक्त जन-केंद्रति शासन को बढ़ावा देने के लिये एक रणनीतिकि नीति उपकरण है।
- **स्थायी वत्तीय पता:** आधार को स्थायी वत्तीय पते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समाज के वंचति और कमज़ोर वर्गों के वत्तीय समावेशन की सुवधि प्रदान करता है, अतः न्याय और समानता का एक उपकरण है।
  - इस प्रकार आधार पहचान मंच **'डजिटल इंडिया'** के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

## आगे की राह

- **सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करें:**
  - सरकार को **सर्वोच्च न्यायालय** के नरिदेशों का पालन करना चाहिये और उन्हें लागू करना चाहिये, जनिमें शामिल हैं:
    - अनुमत उद्देश्यों के लिये अनविर्य आधार का प्रतबिंध।
    - आधार प्रमाणीकरण वफिल होने पर वकिल्प का प्रावधान।
    - बच्चों के लिये बिना शरत छूट।
- **लाभ वंचना नषिध:**
  - लाभों को वापस या नलिंबति नहीं करना चाहिये:
    - उन नामों का अग्रमि प्रकटीकरण, जनिहें हटाए जाने की संभावना है, साथ ही प्रस्तावति वलिोपन का कारण।
    - प्रभावति लोगों को कारण बताओ नोटसि जारी करना और उन्हें जवाब देने या अपील करने का अवसर (प्र्याप्ती समय के साथ) प्रदान करना।
    - दनिांक और कारण सहति वलिोपन के सभी मामलों का पूर्व एवं पश्चात प्रकटीकरण।
- **मज़बूत सुरकषा उपायों की ज़रूरत है:**
  - **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI)** को आधार-सकषम भुगतान प्रणाली की कमयिों और उचति शकियत नविरण सुवधिओं के खलिाफ शीघ्र मज़बूत सुरकषा उपाय करने चाहिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्षों के प्रश्न:

## प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. आधर करड कऱ उपयोग नऱगरकितऱ यऱ अधवऱस के प्रमऱण के रूड में कयिऱ जऱ सकतऱ है ।
2. ँक बऱर जऱरी होने के बऱद आधर संख्यऱ कऱ जऱरीकरततऱ प्रऱधकऱरी दवऱरऱ सडऱडत यऱ ँडऱ नऱरी जऱ सकतऱ है ।

### उपरसुकुत कथनों में से कऱन-सऱ/से सऱही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तऱ 1 और न ही 2

### उतुतर: (d)

- आधर प्लेटफऱरुड सेवा प्रदऱतऱओं कऱ नवऱसयिऱों की पहचऱन कऱ सुरकषुतऱ और तवरतऱ तरऱके से इलेकुतुरऱनकऱ रूड से प्रमऱणतऱ करने में डदद करतऱ है, जसऱसे सेवा वतऱरण अधकऱ लऱगत प्रभऱवी ँवं कुशल हऱ जऱतऱ है । डऱरत सरकर और UIDAI के अनुसऱर आधर नऱगरकितऱ कऱ प्रमऱण नऱरी है ।
- हऱलऱंकऱ UIDAI ने आकसुडकऱतऱओं कऱ ँक सेट डी प्रकऱशतऱ कयिऱ है जऱ उसके दवऱरऱ जऱरी आधर असुवीकृतऱ के लयऱ उतुतरदऱयी है । डशऱरतऱ यऱ वषऱड डऱडऱडऱकऱ जऱनकऱरी वऱलऱ आधर नषऱकुरयऱ कयिऱ जऱ सकतऱ है । आधर कऱ लऱगऱतऱर तऱन वरुषों तक उपयोग न करने पर डी उसे नषऱकुरयऱ कयिऱ जऱ सकतऱ है ।

## सुरऱतऱ: इंडयऱन ँकसुप्रऱस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/safeguarding-aadhaar-data>

